पत्र संख्या–न्याय–प्रशासनिक पटल/2019–20/ 815 /वाणिज्य कर

प्रेषक,

कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड–1,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(वाद अनुभाग) **लखनऊ :: दिनांक 30 सितम्बर, 2019**

विषयः– विधिक राय अथवा प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जाने सम्बन्धी मामलों में सम्बन्धित अधिकारी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर चीफ स्टैण्डिंग काउन्सिल अथवा स्पेशल स्टैण्डिंग काउन्सिल के समक्ष मामले के मुख्य बिन्दुओं को स्पष्ट करने के सन्दर्भ में।

महोदय,

कृपया श्री विकास चन्द्र त्रिपाठी, चीफ स्टैण्डिंग काउन्सिल, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या–मेमो /पी0एस0सी0एस0सी0/इलाहाबाद/2019 दिनांक 20.09.2019 **(प्रति संलग्न)** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से ऐसे वादों जिनमें विभाग द्वारा विधिक राय की अपेक्षा की जाती है अथवा जिनमें मा0 उच्च न्यायालय में शपथ पत्र/प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जाते हैं, वाद से सीधे सम्बन्धित अधिकारी द्वारा उपस्थित होकर वाद से सम्बन्धित महत्वपूर्ण अथवा मुख्य बिन्दु प्रभावी ढंग से ब्रीफ न किये जाने के कारण विधिक राय बनाने अथवा शपथ पत्र/प्रतिशपथ पत्र तैयार किये जाने में आ रही कठिनाइयों से अवगत कराते हुए वाद/मामले से सीधे सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर वाद के महत्वपूर्ण बिन्दुओं को ब्रीफ किये जाने की अपेक्षा की गयी है, ताकि वाद से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर उचित विधिक राय स्थापित की जा सके अथवा प्रभावी शपथ पत्र दायर किया जा सके।

उक्त के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल किये जाने वाले विभिन्न वादों, शपथ पत्र, प्रतिशपथ पत्र इत्यादि मामलों में आवश्यक दस्तावेजों के साथ सम्बन्धित अधिकारी, जो उस वाद से सीधे सम्बन्धित हो, ही उपरोक्त मामलों में स्वयं वाद से सम्बन्धित विभिन्न मुख्य बिन्दुओं से स्थायी अधिवक्तागणों को उच्च न्यायालय कार्य के माध्यम से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(अमृता सोनी)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड–1 (उ0न्या0कार्य), वाणिज्य कर, इलाहाबाद।

2– एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड–2 (उ0न्या0कार्य), वाणिज्य कर, लखनऊ को अनुपालनार्थ।

3– समस्त अनुभाग प्रभारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मुख्यालय स्तर पर प्राप्त मामलों में अनुभाग के स्तर से भिन्न अधिकारी द्वारा उपरोक्तानुसार प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाए।

4– ज्वाइण्ट कमिश्नर (आई0टी0), वाणिज्य कर, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।